

(निरंतर विषय के साथ डीसीएसईएम वेबसाइट में अपलोड करने के लिए सामग्री
होम पेज में स्कॉल करना) (Matter for uploading in DCSEM website with continuous subject
Scrolling in Home Page)

दिनांक 17.05.2023 को पेंशन अदालत आयोजित करने की सूचना

डीई के कार्यालय ज्ञापन सं. 20/01/2023-एससीएस/5537 के अनुसरण में दिनांक 17.05.2023 10.00 बजे से 16.00 बजे तक डीसीएसईएम पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए पेंशन अदालत आयोजित करने का प्रस्ताव है, ताकि मौजूदा नीति दिशानिर्देशों के अंतर्गत पेंशनभोगियों की शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जा सके। It is proposed to conduct a Pension Adalat on 17.05.2023 from 10.00 hrs to 16.00 hrs for the DCSEM Pensioners/Family pensioners in pursuance of DAE OM No. 20/01/2023-SCS/5537 dated for prompt resolution of pensioner's grievances within the framework of extant policy guidelines.

DCSEM, मुंबई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेंशन अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। संबंधित पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनरों से अनुरोध है कि वे DCSEM वेबसाइट में अपलोड किए गए संलग्न पेंशनभोगी शिकायत फॉर्म को भरें और इसे 11.05.2023 को या उससे पहले estt1@dcsem.gov.in या estt2@dcsem.gov.in पर ईमेल द्वारा अग्रेषित करें। दिनांक 11.05.2023 के बाद प्राप्त फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा। It has been decided to convene the Pension Adalat through Video Conferencing in DCSEM, Mumbai. The concerned Pensioners/Family Pensioners are requested to fill in the enclosed Pensioners Grievances Form uploaded in the DCSEM website and forward the same by email at ao3admin@dcsem.gov.in, estt1@dcsem.gov.in & estt2@dcsem.gov.in on or before 11.05.2023. The form received after 11.05.2023 will not be entertained.

चूंकि पेंशन अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए समय और लिंक उन पेंशनरों को उपलब्ध कराया जाएगा जिन्होंने उपर्युक्त नियत तारीख को या उससे पहले शिकायत प्रपत्र जमा किया है। As the Pension Adalat will be conducted through Video Conferencing, the time and link will be made available to the Pensioners who have submitted the Grievances form on or before the due date mentioned above.

अधिक जानकारी के लिए, <https://dcsem.gov.in/english/pensioners> पर जाएं। For more details, visit <https://dcsem.gov.in/english/pensioners>

नोट: उपरोक्त पेंशन अदालत में कानूनी मामलों जैसे उत्तराधिकार आदि और दो वेतन वृद्धि, विशेष वेतन से जुड़े मामले नहीं लिए जाएंगे।

Note: Cases involving legal matters e.g. succession etc. and two increments, special pay will not be taken up in above Pension Adalat.
